कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।
पत्रांक 683 /ओबरा / 15भू0ह0 दिनांक– 14-9-2020.

सेवा में,

प्रबन्धक, रिलायन्स जियो इन्फोकाम लि0,
रोहतास के टेरिडेन्ट सेकेण्ड फ्लोर,
10 राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ।

विषय– रिलायन्स 4 जी परियोजना हेतु ओबरा वन प्रभाग की कुल 0.2901हे0 आरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबिल (ओ0एफ0सी0) बिछाये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या–1675 / 81–2–2020–800(161) / 2017 दिनांक– 31.08.2020 तथा मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–464 / 11–सी –एफ0पी0 / यू0पी0 / अदर्स / 24318 / 2017 दिनांक– 01.09.2020.

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–2205 / 14–2–2018–800(161) / 2017 दिनांक–29.08.2019 से वांछित स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या तथा प्रकरण में प्रभावित वन भूमि कितने वर्षो के लिए लीज पर लिया जाना है, के सम्बन्ध में सूचना मांगते हुए आपत्ति लगायी गयी है।

अतः उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या–1675 / 81–2–2020–800(161) / 2017 दिनांक– 31.08.2020 की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध कि साथ प्रेषित कि पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर वांछित आख्या / अभिलेख उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जा सके।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय

(प्रखर मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

संख्या 683 अ / समदिनांकित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रखर मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

O/C

F:\New Folder\AM-5.Docx

Scanned with CamScanner

संख्या– 1625/81–2–2020–800(161)/2017

प्रेषक,

डॉ० दीपक कोहली
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 31 अगस्त, 2020

विषय:– रिलायन्स 4 जी परियोजना हेतु ओबरा वन प्रभाग की कुल 0.2901 हे० आरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबिल (ओ०एफ०सी०) बिछाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–2205/14–2–2018–800(161)/2017 दिनांक 29–8–2019 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा वांछित स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या अद्यतन अप्राप्त है, जिसके कारण परियोजना में विलम्ब हो रहा है। अतः कृपया वांछित आख्या स्पष्ट संस्तुति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Adso.

CCF/NO
31/8/20

3– उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में आरक्षित वन भूमि का गैरवानिकी प्रयोग किया जाना है। वन विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19.07.1999 के प्रस्तर–1 (3) में विहित व्यवस्था से आच्छादित है। अतएव आरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग हेतु प्रयोक्ता एजेंसी को लीज पर दी जायेगी। यह स्पष्ट किया जाय कि कथित वनभूमि कितने वर्षों की लीज पर दी जायेगी। कृपया शासन को प्रेषित किये जाने वाले अपने सभी पत्रों में आपत्तियों के उत्तर का उल्लेख करते हुये स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ० दीपक कोहली)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक– 464 /11–सी– FP/UP/Others/24318/2017, लखनऊ, दिनांकः सितम्बर 01 ,2020

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि– प्रबन्धक, रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0, रोहतास के टेरिडेन्ट सेकेण्ड फ्लोर, 10 राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ

Lt. ST Page No.1504

Scanned with CamScanner